भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4064
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

छत्तीसगढ़ में बायो-सीएनजी संयंत्र

4064. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीएनजी संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उनके सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए कदमों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जैव-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना के कारण रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय विकास के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) क्या उक्त संयंत्र की स्थापना के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार जैव-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को कोई वित्तीय, शैक्षिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम संचालित कर रही है;

(ड.) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(च) सरकार विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में जैव-सीएनजी संयंत्रों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में किस प्रकार कदम उठा रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-30 के लिए अपनी नवीनतम् औद्यगिक नीति में विभिन्न वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों जैसे 12 वर्षों के लिए विद्युत प्रभार में छूट, स्टांप प्रभार में छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, आदि प्रदान करने के निमित्त "विशिष्ट उत्पाद हेतु वृहद उद्यम" श्रेणी के अन्तर्गत संपीडित जैवगैस अर्थात् बायो-सीएनजी को शामिल किया है।

(ख) और (ग): सीबीजी संयंत्रों मुख्यतः निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। गोबरधन पोर्टल के अनुसार छत्तीसगढ़ में 18 सीबीजी परियोजनाएँ पंजीकृत की गई हैं, जिसमें से एक परियोजना कार्यरत है और तीन निर्माणाधीन हैं। ऐसा प्रत्येक संयंत्र सामान्यतया: स्थानीय स्तर पर निर्माण, उत्पादन तथा सहायक कार्यकलापों में 25 प्रत्यक्ष रोजगार और 50 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद करता है।

(घ) और (ङ): सरकार सीबीजी के तकनीकी, वित्तीय और प्रचालन सम्बन्धी पहलुओं के बारे में उद्यमियों के बीच जागरुकता पैदा करने के निमित्त विभिन्न कार्यशालाओं, गोष्ठिओं तथा बैठकों का आयोजन कर रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के उद्यमी भी प्रतिभागिता करते हैं। इसके साथ-साथ satat.co.in पोर्टल पर लर्निंग मॉड्यूल भी उपलब्ध हैं।

(च): सरकार ने देश में विभिन्न अपशिष्टों/बायोमास स्रोतों से संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और प्राकृतिक गैस के साथ इसके उपयोग को बढ़ावा देने के निमित्त दिनाँक 1 अक्टूबर, 2018 को "किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प" (सतत) पहल की शुरूआत की। सतत पहल के अंतर्गत तेल और गैस विपणन कम्पनियों (ओजीएमसीज) अर्थात् आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल और आईजीएल ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर से सीबीजी अधिप्राप्ति के लिए संभाव्य उद्यमियों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है।

सरकार ने पूरे देश में सीबीजी परियोजनाएँ स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में ओजीएमसीज के साथ दीर्घकालिक करार सहित सीबीजी उठान के लिए सुनिश्चित मूल्य; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना; स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता; उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव खाद को फरमेंटेड जैव खाद (एफओएम) और तरल फरमेंटेड जैव खाद के रूप में शामिल करने; उर्वरक विभाग द्वारा सीबीजी परियोजनाओं से उत्पादित जैविक खाद को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार विकास सहायता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सीबीजी परियोजनाओं को मामला दर मामला आधार पर 'श्वेत श्रेणी' के तहत शामिल करना; आरबीआई द्वारा ऋण प्रदान करने के निमित्त प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण उत्पाद; इत्यादि सहूलियतों को उपलब्ध करवाया गया है।

इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी को समन्वित करने के लिए दिशानिर्देश; नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कों में सीबीजी के इंजेक्शन के लिए पाइपलाइन अवसंरचना के विकास (डीपीआई) की योजना; बायोमास एग्रेगेशन मशीनरी (बीएएम) योजना की अधिप्राप्ति के लिए सीबीजी उत्पादकों को समर्थन देने की योजना; एवं सीएनजी(टी) और सीजीडी नेटवर्क के पीएनजी(डी) क्षेत्रों को सीबीजी की चरणबद्ध अनिवार्य बिक्री जैसी पहलें की हैं।

****